

No. of Printed Pages : 6

BLE-003

DIPLOMA IN PARALEGAL PRACTICE

(DIPP)

Term-End Examination

June, 2021

BLE-003 : LAW AND VULNERABLE GROUPS

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : (i) *This paper consists of three Parts : Part A, Part B and Part C.*

(ii) All Parts are compulsory.

Part—A

Note : Attempt any *two* of the following questions in about **600** words. Each question carries 20 marks. 2×20=40

1. Define 'Rape'. Discuss it as a form of violence against women.
2. Discuss the law relating to protection of juveniles in India.

[2]

BLE-003

3. Define 'Atrocity'. Discuss the main features of The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
4. Discuss the key provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006.

Part—B

Note : Attempt any *four* of the following questions in about **300** words. Each question carries 10 marks. 4×10=40

5. Define 'Dowry'. Discuss dowry as a form of violence against women.
6. Discuss the Supreme Court guidelines on prevention of Sexual Harassment at Workplace.
7. Analyse the Constitutional provision and Supreme Court judgments relating to the Right to Education.
8. Define 'Manual Scavenging'. Discuss the legal provisions which prohibit it.
9. Analyse the rights of a mentally ill person under the Mental Health Act, 1987.

P. T. O.

[3]

BLE-003

10. Define 'Patriarchy'. Discuss the various modes of patriarchal control.

Part—C

Note : Write short notes on any *four* of the following in about **150** words. Each question carries 05 marks. 4×5=20

11. Gender Stereotyping.
12. Charity Model of Disability.
13. Problem of Child Labour.
14. Bonded Labour.
15. Domestic Violence against Women.
16. Rehabilitation Council of India Act, 1992.

P. T. O.

[4]

BLE-003

BLE-003

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा
(डी. आई. पी. पी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2021

बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह

समय : 3 घण्टे

अधिकतम भारिता : 100

नोट : प्रश्न-पत्र तीन भागों क, ख और ग में विभाजित है।
सभी भाग अनिवार्य हैं।

भाग-क

नोट : निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर
(प्रत्येक) लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक
प्रश्न के 20 अंक हैं। 2×20=40

1. बलात्कार की परिभाषा दीजिए। इसकी चर्चा, महिलाओं के प्रति हिंसा के एक रूप में कीजिए।
2. भारत में किशोर सुरक्षा से सम्बन्धित कानून की चर्चा कीजिए।

3. 'अत्याचार' की परिभाषा दीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
4. विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर आधारित कन्वेंशन (2006) के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

भाग-ख

नोट : निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

4×10=40

5. 'दहेज' की परिभाषा दीजिए। दहेज की चर्चा, महिलाओं पर हिंसा के एक रूप में कीजिए।
6. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की चर्चा कीजिए।
7. शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का विश्लेषण कीजिए।
8. 'हाथ से मैला ढोना' की परिभाषा दीजिए। इसे निषिद्ध करने वाले कानूनी प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

P. T. O.

9. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के अधिकारों का विश्लेषण कीजिए।
10. 'पितृतंत्र' की परिभाषा दीजिए। पितृतंत्रीय नियन्त्रण की विविध विधियों की चर्चा कीजिए।

भाग-ग

नोट : संक्षेप में किन्हीं चार पर नोट (प्रत्येक) लगभग 150 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 05 अंक हैं।

4×5=20

11. लैंगिक रूढ़िबद्धता।
12. विकलांगता का परमार्थ मॉडल।
13. बाल श्रम की समस्या।
14. बन्धुआ मजदूर।
15. महिलाओं पर घरेलू हिंसा।
16. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992।

BLE-003